न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 63/2008

1 बन्शीधर पुत्र श्री सुन्दरलाल जाति ब्राह्मण निवासी खाटुश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)

अपीलांट

बनाम

1 रामेश्वर (फौत)
1/1 श्रवणी बेवा
1/2 कैलाश
1/3 महादेव
1/4 सागरमल
1/5 सोहनलाल पुत्रगण स्व. रामेश्वरलाल जाति माली निवासी केरपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
1/6 सजना पुत्री स्व. रामेश्वरलाल पत्नी महेश जाति माली निवासी टोलादास मन्दीर के पास श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.
2 मदनलाल पुत्र गोविन्दराम जाति ब्राह्मण निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
3 सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा पलसाना जरिये शाखा प्रबन्धक
4 तहसीलदार महोदय, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ दिनांक 03.06.2008 मु.नं. 251/2005 बउनवानी बंशीधर बनाम रामेश्वर आदि दावा उद्घोषणा।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री शिवकुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरजभान सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 16.4.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 251/2005 में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2008 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में एक वाद बाबत उद्घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। भूमि पुराने खसरा नम्बर 7 रकबा 13 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 8,9,10 व 11 कुल किता 4 रकबा 3.29 हैक्टेयर अवस्थित है, को वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता गोविन्दराम ने प्रतिवादी संख्या 1 को पूर्व में विकय कर दी। परन्तु वादी/अपीलार्थी को चाही भूमि जो कि उपरोक्त विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 8,9,10 के पूर्व में अवस्थित है, इनमें से खसरा नम्बर 10 के उत्तरी सींव पर से आने जाने का एक मात्र रास्ता है। विवादित कृषि भूमियों में से ही होकर अवस्थित है। जिस उद्घोषित कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर नक्शा ट्रेस में अंकित किये जाने बाबत वादी/अपीलार्थी ने उक्त वाद प्रस्तुत किया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 रामेश्वर ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार संहिता प्रस्तुत किया, जिस पर विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 का आवेदन स्वीकार कर वादी अपीलांट का वाद खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 रामेश्वर ने विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 7 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत किया था। उसमें उनकी आपत्ति केवल यह थी कि रास्ते के लिये या तो ग्राम पंचायत या सिविल कोर्ट में ही कार्यवाही की जा सकती है। रास्ता कटान में करवाने के लिए आर.टी.एक्ट की धारा 207 के राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार प्राप्त नही होने से क्षेत्राधिकार के बाहर है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 रामेश्वर का आवेदन को पढ़े बिना ही अपनी मनमर्जी से गलत तथ्यो का अपने आदेश में हवाला देकर दावा खारिज किया है जबकि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 7 नियम 11 में यह कही भी अंकित नही किया था कि अपीलार्थी इकरारनामें के आधार पर रास्ते का अंकन करवाना चाहता है तथा ना ही यह अंकित किया था कि रास्ता सुखाधिकार के आधार पर कायम करवाना चाता है परन्तु विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों को अपनी मनमर्जी से आदेश 7 नियम 11 को आधार मानकर दावा खारिज करने में कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट/वादी के वाद पत्र को पढ़े बिना चुनोतीग्रस्त निर्णय व डिक्री पारित की है जबकि वादी का दावा बाबत उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्रालात राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस तथा स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ था जिसमें तथा सहायता भी इसी आशय की चाही गई थी तथा पूर्व से एकमात्र चालु रास्ते को बन्द नही करने तथा उक्त कृषि भूमियों के रास्ते को राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता दर्ज कर नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती करने के अभिकथनो के साथ वाद पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलांट/वादी तथा रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य पूर्व में हुये इकरारनामें का हवाला केवल इस तथ्य की पुष्टि के लिए दिया गया था कि रास्ता पूर्व का ही चालु है परन्तु उक्त इकरारनामें की पालनार्थ दावा प्रस्तुत नही किया था। विचारण न्यायालय की पत्रावली में अभिलेख निरीक्षक खाटूश्यामजी की दिनांक 27.12.2005 की विवादित कृषि भूमियो के सम्बंध में एक जांच रिपोर्ट भी लगी हुई है जिसे भी विचारण न्यायालय ने पढ़ने का कतई कष्ठ नही किया जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी की कृषि भूमियो में आने जाने का एक मात्र रास्ता का खसरा नम्बर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

8,9, व 10 में रास्ता पहले से खुला था जिसे रेस्पोडेंट संख्या 1 ने जानबुझकर दोनो सिरो को बन्द कर अवरूद्व कर रखा है। उक्त प्रकरण में कृषि भूमियों से सम्बंधित रास्तो के विवाद का सुनने का एक मात्र क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही है। इसलिये विचारण न्यायालय उसमें दोनों पक्षो के साक्ष्य सबूत लेने के पश्चात गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था किन्तु विचारण न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 पर ही निर्णय पारित किया हैं। जो विधि सम्मत नही है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वादी खसरा नम्बर 11 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे रास्ता कटान की सहायता चाही गई थी। जहां पर रास्ता कटान में नही हो। ऐसी स्थिति में तहसीलदार या सिविल कोर्ट में ही कार्यवाही की जा सकती है। रास्ता कटान में करने के लिये आर.टी.एक्ट की धारा 207 में राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है। अत अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में कटानी रास्ते की सहायता चाही गई है। जो सुखाधिकार (EASEMENTARY RIGHTS) की श्रेणी में था। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अत विचारण न्यायालय के निर्णय में हम हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16·4·24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

... तहसील दांतारामगढ